## राजस्थान सरकार बाल अधिकारिता विभाग

एक व्य(र)(४)वा अ वि /कि अ वि / विशोधक गविष्ट्रेट विवृधित / 2017

own trop 6/2/14

## अधिसूचना

संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान संस्कार के पत्रांक प.1(13)न्याय / 2009 पार्ट दिनांक 29.01.2019 द्वारा रिजिस्ट्रार जनस्त, माननीय उच्च न्यायालय का पत्रांक Centilos/2016/121 दिनांक 22.01.2019 के संदर्भित पत्र की अनुपालना में किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संस्थण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के अन्तंगत राज्य सरकार द्वारा विधि से तार्यांत किशोर / किशोरियों के प्रकरणों में अधिनियम के संगत नियम में प्रदत्त झांकार्यों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्धेहन करने के दिए गठित किशोर न्याय बोर्ड, सवाई माधोपुर में प्रिसीपल मजिस्ट्रेट, द्वारा प्रत्येक संप्ताह में 1 दिवस बैठक आयोजित कर अधिनियम एवं संगत नियमों के अनुरूप बोर्ड के निर्धारित कार्यं का संपादन किया जायेगा।

(शुन्त रामा) आयुक्त एवं शासन संचिव

## RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/05/2016/209

Dated: 08/02/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. All Registrars. Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
- 2. District & Sessions Judge, Sawai Madhopur
- 3. Chief Judicial Magistrate, Sawai Madhopur
- 4. Juvenile Justice Board, Sawai Madhopur
- A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell with a direction to upload the same on high court website.

REGISTRAR (RULES)